पत्रांक : 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–03 / 2024 / 81 (स्वी०) / पं०रा०

**बिहार सरकार**
**पंचायती राज विभाग**

प्रेषक,

**किशोर कुमार,**
संयुक्त सचिव

सेवा में,

**महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार**
**वीरचंद पटेल पथ, पटना।**

पटना, दिनांक 28 / 2 / 2025

**विषय :** **स्व० मनोहर ऋषिदेव, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत–सदानन्दपुर, प्रखंड–कहलगाँव, जिला–भागलपुर की आश्रिता श्रीमती साधना देवी (पत्नी) एवं स्व० नारायण शर्मा, मुखिया ग्राम पंचायत–बनवीरा, प्रखंड–मोरवा, जिला–समस्तीपुर की आश्रिता श्रीमती विनिता देवी (पत्नी) को ₹5.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹10,00,000.00 (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

**आदेश :** **स्वीकृत।**

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है जिला पदाधिकारी, भागलपुर के आदेश संख्या 09 / 2023–24 दिनांक 04.12.2024 के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 2849 दिनांक 07.12.2024 द्वारा स्व० मनोहर ऋषिदेव, ग्राम पंचायत–सदानन्दपुर, प्रखंड–कहलगाँव जिला– भागलपुर का वार्ड सदस्य के पद पर पदासीन रहने के दौरान दिनांक 24.05.2019 को दुर्घटना से हुई मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र का अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के अभिलेख सं०–01 / 24–25 के आलोक में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 59 दिनांक 07.01.2025 द्वारा स्व० नारायण शर्मा, ग्राम पंचायत– बनवीरा, प्रखंड– मोरवा, जिला– समस्तीपुर का मुखिया पद पर पदासीन रहने के दौरान दिनांक 20.09.2024 को अपराधिक घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र का अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 **(छायाप्रति संलग्न)** के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना के हुई मृत्यु की स्थिति में ₹5.00 लाख रूपया अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

**साथ ही उक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है।**

5. अतएव उक्त कंडिका–2 एवं 3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में निम्नरूपेण अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

| क्र० | मृत व्यक्ति का नाम/पदनाम | स्वीकृत राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | स्व० मनोहर ऋषिदेव, वार्ड सदस्य,<br>ग्राम पंचायत– सदानन्दपुर,<br>प्रखंड़–कहलगाँव,<br>जिला–भागलपुर | ₹5,00,000.00<br>(पाँच लाख रूपये) | जिला पदाधिकारी, भागलपुर के आदेश संख्या 09/2023–24 दिनांक 04.12.2024<br>एवं<br>जिला पंचायत राज़ पदा०, भागलपुर के पत्रांक–2849 दिनांक–07.12.24 |
| 2 | स्व० नारायण शर्मा, मुखिया<br>ग्राम पंचायत– बनवीरा<br>प्रखंड–मोरवा<br>जिला– समस्तीपुर | ₹5,00,000.00<br>(पाँच लाख रूपये) | अभिलेख सं०–01/24–25<br>एवं<br>जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–59 दिनांक–07.01.25 |
| | कुल | **₹10,00,000.00 (दस लाख रूपये)** | |

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम के "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष 001–निदेशन तथा प्रशासन–उप शीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत स्थापना" अंतर्गत "विषय शीर्ष–0101.37. 01–अनुग्रह अनुदान" मद से की जायेगी। इसका मांग सं0–16 एवं विपत्र कोड 16–2515000010101 है।

7. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर एवं समस्तीपुर होंगे। इस स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर एवं समस्तीपुर से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में करते हुए CFMS के माध्यम से मृतकों के आश्रितों के बैंक खाते में अंतरित करेंगे।

**8. इस स्वीकृत राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।**

9. इस स्वीकृत राशि का निर्धारित समय में अंकेक्षण कराने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. राशि की स्वीकृति यह मानकर भी दी जा रही है कि जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा स्व० मनोहर ऋषिदेव, वार्ड सदस्य, एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा स्व० नारायण शर्मा, मुखिया की मृत्यु एवं उनसे संबंधित सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच विभागीय संकल्प संख्या–5482 दिनांक–01.10.2018 के आलोक में अपने स्तर से करा ली गयी है एवं उक्त संकल्प के आलोक में अनुग्रह अनुदान की राशि देय है। साथ ही मृतकों के आश्रितों को गृह विभाग (विशेष) के संकल्पसंख्या–ए०/विविध–(38)–60–2008–8960 दिनांक–30.09.2013 (समय–समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से किये गये प्रावधान के आलोक में अनुग्रह अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है।

11. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. स्वीकृत्योदश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–03/2024 के पृष्ठ–29/टि० पर दिनांक–17/02/25 ....... को प्राप्त है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–03/2024 के पृष्ठ–30/टि0 पर दिनांक–19/02/25 को प्राप्त है।

14. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

27/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–03/2024/81(स्था०)/पं०रा०पटना, दिनांक 28/2/25
प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, भागलपुर एवं समस्तीपुर /मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् भागलपुर एवं समस्तीपुर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर एवं समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–03/2024/81(स्था०)/पं०रा०पटना, दिनांक 28/2/25
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–03/2024/81(स्था०)/पं०रा०पटना, दिनांक 28/2/25
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–5(बजट)/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०–03/2024/81(स्था०)/पं०रा०पटना, दिनांक 28/2/25
प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/25
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव